यह निरीक्षण प्रतिवेदन **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम, चम्बा, टिहरी गढ़वाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा** के माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविन्द्र कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 17.12.2016 से 28.12.2016 तक श्री राकेश कुमार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानुप्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 10.06.2014 से 21.06.2014 तक श्री महेन्द्र तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी। जिसमें माह 04/2010 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा माह 04/2014 से 11/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जाँच की गई।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

टिहरी एवं उत्तरकाशी में भवन निर्माण कराना।

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अवशेष
2013-14	24.45	13.19	37.64	25.91	11.73
2014-15	11.73	22.2	33.93	11.21	22.72
2015-16	22.72	4.52	27.24	11.92	15.32

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रा. अवशेष	प्राप्त	कुल धनराशि	व्यय	अवशेष
..... शून्य.....						

(III) इकाई को बजट आबंटन राज्यांश मद के द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा (अ) श्रेणी** की है।

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं माह 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। इकाई की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह 03/2015, 03/2016 एवं माह 11/2016 के अनुसार योजनाओं का प्रतिचयन किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-III

1. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ)	भाग-दो(ब)	STAN
37/2007-08	-	1	1,2
01/2011-12	1,2,3,4	1,2,3	-
31/2012-13	-	1	1
41/2014-15	1	1,2,3,4,5,6,7	1

2. विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
.....शून्य.....				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य-------

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1- ठेकेदारों को अनियमित रूप से ` 98.90 लाख के अनियमित अग्रिम का भुगतान तथा उसके सापेक्ष ` 14.14 लाख की धनराशि का वसूली हेतु लंबित रहना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम-VI के प्रस्तर 456 के अनुसार ठेकेदारों को अग्रिम दिया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उक्त नियम के अनुसार ऐसा यंत्र, जिसके अंतर्गत ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित किए गए वास्तविक कार्य के अतिरिक्त कोई भुगतान न किया जाय, विकसित करने का हर प्रयत्न किया जाना चाहिए। खंड के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न ठेकेदारों को ` 98.90 लाख की धनराशि के अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था। आगे, अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त धनराशि में से प्रदान किए जाने के लगभग तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी ` 84.76 लाख की वसूली की गयी थी तथा शेष ` 14.14 लाख की धनराशि वसूली हेतु लंबित थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने उत्तर दिया कि उक्त धनराशि के सापेक्ष ` 84.76 लाख का समायोजन कर लिया गया है तथा शेष धनराशि ` 14.14 लाख का समायोजन कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदारों को अनियमित रूप से अग्रिम प्रदान किए जाने के संबंध में कहा कि भविष्य में अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ठेकेदारों को केवल उनके द्वारा निष्पादित किए गए वास्तविक कार्य के अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिये।

अतः ठेकेदारों को अनियमित रूप से ` 98.90 लाख के अनियमित अग्रिम का भुगतान किए जाने तथा प्रदान किए जाने के लगभग तीन वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी ` 14.14 लाख की धनराशि वसूली हेतु लंबित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- पूर्ण हुए कार्यों की लेखाबन्दी कर अवशेष ` 71.85 लाख की धनराशि ग्राहक विभागों को वापस प्रदान न किए जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खंड VI) के प्रस्तर 514 के अनुसार पूर्ण हुए निक्षेप कार्यों के खाते यथाशीघ्र बंद कर दिये जाने चाहिए। इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार निम्नलिखित तालिका में दर्शाये गए कार्य पूर्ण किया जा चुके थे एवं नव-निर्मित भवन संबंधित विभागों को हस्तांतरित किये जा चुके थेः

क्र.सं.	कार्य का नाम	अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	हस्तांतरण की तिथि
1.	ग्राम शिल्प इम्पोरियम, डुंडा	8.00	8.00	0.00	07.02.2013
2.	राजकीय आयुष चिकित्सालय, मुनि की रेती	123.49	123.49	0.00	01.10.2014
3.	रा ई का, कलोगी	119.11	113.129	5.981	01.05.2015
4.	रा ए चि, खवाडा	119.92	118.287	1.633	24.06.2015
5.	रा ई का, वंचौरा	119.29	103.910	15.38	09.07.2015
6.	रा ई का, हुडौली	118.57	86.465	32.105	02.09.2015
7.	राजकीय आयुष चिकित्सालय, सेंजी (कालीधार)	37.00	37.00	0.00	26.12.2015
8.	रा ई का, सेमण्डीधार	194.85	178.099	16.751	02.03.2016
योग		**840.23**	**768.38**	**71.85**	

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त आठ कार्यों के संबंधित विभाग को हस्तांतरण किए जाने के बाद से दस माह से तीन वर्ष का समय बीत चुका था, परंतु उक्त कार्यों की लेखाबन्दी नहीं की गयी थी। जिसके परिणामस्वरूप विभागों की ` 71.85 लाख की धनराशि इकाई के पास दस माह से ढाई वर्ष से अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने उत्तर दिया कि लेखाबन्दी के पश्चात ही धनराशि ग्राहक विभाग को वापस की जाती है, शीघ्र ही प्रश्नगत कार्यों की लेखाबन्दी कर अवशेष धनराशि ग्राहक विभागों को वापस कर लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा। उत्तर

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों के संबंधित विभागों को हस्तांतरित किए जाने के 10 माह से ढाई वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी लेखाबन्दी कर, अवशेष ` 71.85 लाख की धनराशि ग्राहक विभागों को वापस नहीं की गयी थी।

अतः पूर्ण हुए कार्यों की लेखाबन्दी कर अवशेष ` 71.85 लाख की धनराशि ग्राहक विभागों को वापस प्रदान न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- ब्याज के रूप में अर्जित ` 41.41 लाख की धनराशि ग्राहक विभगों को वापस न किया जाना।

मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के दिनांक 16.11.2010 एवं शासन के मार्च 2014 के शासनादेश के प्रविधान के अनुसार ग्राहक विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि को ग्राहक विभाग को लौटा दिया जाना चाहिए। इकाई की 2013-14 की बेलेन्स शीट की संवीक्षा में पाया गया कि मार्च 2013 तक ब्याज के रूप में अर्जित ` 48.16 लाख की धनराशि ग्राहक विभागों को लौटाए जाने के स्थान पर मुख्य महाप्रबन्धक कार्यालय को प्रेषित की गयी थी। जिसमें से वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान क्रमशः ` 2.89 लाख एवं ` 3.86 लाख मुख्यालय से वापिस प्राप्त की गयी तथा शेष ` 41.41 लाख की धनराशि मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में अवरूद्ध पड़ी हुई थी। इस प्रकार उक्त शासनादेश के प्रविधान का उल्लंघन के जाने के कारण ग्राहक विभागों की ` 41.41 लाख की धनराशि मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय में अवरूद्ध पड़ी हुई थी।

लेखापरीक्षा में इंगित के जाने पर परियोजना प्रबंधक ने स्वीकार किया कि उक्त शासनादेश तथा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के निर्देश के अनुसार ग्राहक विभाग से प्राप्त धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि ग्राहक को वापिस किए जाने का प्रविधान है तथा आगे यह भी कहा कि वर्तमान में ब्याज की धनराशि ग्राहक विभाग को वापिस की जा रही है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि `

41.41 लाख की धनराशि जो ग्राहक विभागों द्वारा प्राप्त धनराशि पर ब्याज के रूप में अर्जित की गयी थी, खंड द्वारा मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय को प्रेषित किए जाने के कारण अवरूद्ध थी।

अतः ब्याज के रूप में अर्जित ` 41.41 लाख की धनराशि ग्राहक विभागों को वापिस न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-4- स्वीकृति से लगभग चार से दस वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्यों का अपूर्ण रहना।

इकाई के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि निम्न तालिका में दर्शाये गए कार्य उनकी स्वीकृति से लगभग चार से दस वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी पूर्ण कार्य किए गए थेः-

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति वर्ष	स्वीकृत धनराशि	मार्च 2016 तक अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि	अवशेष धनराशि	भौतिक प्रगति
1.	सुनहरी गाड़ में पर्यटक आवास गृह का निर्माण	376/VI/2006(47)/2005 dt. 28.03.06	66.55, पुला 111.57	111.57	101.747	9.823	85%
2.	नई टिहरी में मदरसे का निर्माण कार्य	65/Gen./Tec./ dt. 17.01.06	32.56	28.02	26.435	1.585	50%

3.	रा ई का, मुसटीक गाड़	643/XXIV-3/2006/2(34), dt. 23.11.06	25.17	25.17	24.766	0.404	40%
4.	रा ई का, साल्ड	257/XXIV-3/10/03 II/08 dt. 31.03.10	97.80	97.80	97.00	0.80	40%
5.	रा ई का, श्रीकाल खाल	106/XXIV-3/10/03(08)/08 dt. 31.03.10	112.07	112.07	107.482	4.588	75%
6.	सैनिक विश्राम गृह धनसाली फेज-2	134(1)XVII-3/12-09(11)/10 dt. 25.03.13	97.83	50.45	42.592	7.858	40%
योग				**425.08**	**400.022**	**25.058**	

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाये गए विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य स्वीकृति की तिथि से चार से दस वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी अपूर्ण पड़े हुए थे, जबकि उपरोक्त तालिका में बिंदु संख्या 1 से पाँच पर अंकित कार्यों हेतु सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि विभागों से प्राप्त हो चुकी थी। आगे, इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि उक्त कार्य एक से 07 वर्षों से अवरूद्ध पड़े हुए थे। जिससे उक्त कार्यों के समय से पूर्ण न होने के कारण उन कार्यों पर व्ययित ` 4.00 करोड़ की धनराशि निरर्थक थी एवं जनसाधारण भी वांछित लाभ से वंचित था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर परियोजना प्रबन्धक ने उत्तर दिया कि धनराशि समय से प्राप्त न होने पर दरों में वृद्धि होने के कारण धनाभाव के कारण कार्य अवरूद्ध है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या एक से पाँच पर अंकित कार्यों की सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त हो चुकी थी फिर भी उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए गए थे।

अतः निर्माण कार्यों के समय से पूर्ण न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-5- डिजाइन में संशोधन के बावजूद ` 77.30 लाख व्यय होने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण न किया जाना।

निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तर दायी होगें एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के पत्रांक दिनांक 20.08.2013 के अनुपालन में इकाई द्वारा एस.ओ.आर. 2013 के आधार पर ` 84.00 लाख की लागत से पुलिस चौकी तपोवन के आवासीय/अनावासीय भवनों (मुख्य भवन एवं टाईप 2 एक नग) के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन प्रस्तुत किया गया, जिस पर टी.ए.सी. के उपरान्त शासन के पत्रांक संख्या 65 दिनांक 27 फरवरी 2015 के द्वारा ` 83.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इकाई द्वारा दिनांक 09.06.2015 को ` 67,08,681 की लागत से अनुबंध संख्या 02 गठित किया गया, जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 20.06.2015 को प्रारम्भ कर दिनांक 19.06.2016 तक सम्पन्न करना था। इसी बीच इकाई द्वारा पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल से यह अनुरोध किया गया कि पूर्व डिजाइन के अनुसार कार्य कराये जाने पर लगभग ` 25-30 लाख अतिरिक्त व्यय होने के संभावना है, तथा मितव्ययता की दृष्टि से उक्त भवनों के आर्किटेक्चरल ड्राईंग पुनः तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया (दिनांक 04.07.2015) जिस पर पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दियागया (दिनांक 26.08.2015)। इसके बावजूद लेखा परीक्षा तिथि माह 11/2016 तक कुल राशि ` 77.30 लाख व्यय होने के उपरान्त भी मात्र 60 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हो सका एवं शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु इकाई द्वारा ` 52.30 लाख का संशोधित आगणन अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया (दि. 17.12.2016)।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि संशोधित ड्राईंग पर क्लांइट विभाग की सहमति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया गया। जो कार्य स्थल उपलब्ध कराया है वह सड़क से लगभग 5.00 मीटर गहराई पर था, जिसे सड़क लेवल तक ऊपर उठाने का प्राविधान आवश्यक था, जिससे लागत वृद्धि के फलस्वरूप कार्य पूर्ण नहीं कराया जा सका। पूर्व में प्राक्कलन समतल भूमि के सापेक्ष प्रस्तुत किया गया था।

उत्तर से स्पष्ट है कि कार्य स्थल का निरीक्षण किये बगैर ही इकाई द्वारा उक्त पुलिस चौकी के निर्माण का विस्तृत प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया, दूसरे इकाई द्वारा पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल से स्वयं अनुरोध किया गया कि पूर्व डिजाइन के अनुसार कार्य कराये जाने पर लगभग ` 25.30 लाख अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है जिस पर क्लांइट विभाग ने डिजाइन पर अपनी सहमति दे दी। इसके बावजूद भी सम्पूर्ण राशि व्यय होने के उपरान्त भी संशोधित डिजाइन पर मात्र 60 प्रतिशत कार्य ही हो सका है।

अतः डिजाइन में संशोधन के बावजूद ` 77.3 लाख व्यय होने के उपरान्त भी कार्य का पूर्ण न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-6- ` 78.44 लाख का अवैध निविदा के आधार पर एवं उसमें भी विभागीय दरों से 32.79 प्रतिशत अधिक की दर पर कार्य कराया जाना।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि शासन के पत्रांक संख्या 287 दिनांक 31.03.2010 के द्वारा राजकीय इण्टर कालेज साल्ट उत्तरकाशी के भवन हेतु टी.ए.सी. के उपरान्त ` 97.80 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। इकाई द्वारा एस.ओ.आर. 2013 के आधार पर दिनांक 26.07.2014 को ` 34.13 लाख की आमंत्रित निविदा के अनुक्रम में इकाई को मात्र एक निविदा प्राप्त हुई वह भी विभागीय दरों से ` 32.79 लाख अधिक थी। जिस पर एस.ओ.आर. 2014 की दर लगाते हुए (17.71 प्रतिशत अधिक) एवं स्थल की स्थिति के अनुसार 10 प्रतिशत Index For cartage of material by mule जोड़ने के उपरान्त तुलना करने पर दर दाता की लागत विभागीय लागत से 5.06 प्रतिशत अधिक आंकी गयी, जिस पर स्वीकृति प्राप्त कर अनुबंध गठित किया गया। इसके पश्चात पुन एस.ओ.आर. 2014 के आधार पर दिनांक 02.03.2015 को ` 44.31 लाख की आमंत्रित निविदा के अनुक्रम में इकाई को तीन निविदा प्राप्त हुई जिसमें एक निविदा दाता द्वारा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि संलग्न न किये जाने के कारण अपात्र हो गयी थी, एवं मात्र दो निविदा के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार कर न्यूनतम दर दाता के साथ अनुबंध गठित किया गया। इस प्रकार इकाई द्वारा एस.ओ.आर. 2013 के आधार पर आमंत्रित निविदा (` 34.13 लाख) जोकि विभागीय दरों से 32.79 प्रतिशत अधिक थी को एकल दर दाता को एस.ओ.आर. 2014 के आधार पर आमंत्रित निविदा (` 44.31 लाख) में मात्र दो निविदा के आधार पर अनुबंध गठित किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि बार-बार निविदायें आमंत्रित करने के बाद भी दो से अधिक ठेकेदारों द्वारा आवेदन न किये जाने के कारण विशेष परिस्थितियों में कार्य आबंटित किया गया। मूल आगणन 2013 में स्वीकृत हुआ जिसमें ` 1.00 लाख अवमुक्त हुए। वर्ष 2011 में ` 9.00 लाख एवं वर्ष 2013 में ` 25.00 लाख अवमुक्त हुए। स्पष्ट है कि

पर्याप्त धनराशि न होने के कारण निविदा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए बार-बार निविदायें आमंत्रित करने के बाद वर्ष 2014 में कार्य प्रारम्भ हुआ।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एस.ओ.आर. 2013 के आधार पर आमंत्रित निविदा जोकि विभागीय दरों से 32.79 प्रतिशत अधिक थी को एकल दर दाता एस.ओ.आर. 2014 के आधार पर विभागीय दरों से 5.06 प्रतिशत अधिका दिखा कर स्वीकृत किया गया। इस संबंध में इकाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। पर्याप्त निविदा प्राप्त न होना मान्य नहीं है।

अतः ` 78.44 (` 34.13 + ` 44.31) लाख का अवैध के आधार पर एवं उसमें भी विभागीय दरों से 32.79 प्रतिशत की दर पर कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-7- ` 68.69 लाख का अलाभकारी व्यय एवं कार्य में ` 40.27 लाख की लागत वृद्धि होना।

निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति इन शर्तों के साथ प्रदान की जाती है कि स्वीकृत आगणन में प्राविधानित डिजाइन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तर दायी होंगे एवं स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

इकाई के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल के पत्रांक दिनांक 25.08.2012 के अनुपालन में इकाई द्वारा एस.ओ.आर. 2012-13 के आधार पर ` 80.00 लाख की लागत से पुलिस चौकी दुगड्डा के आवासीय/अनावासीय भवनों (मुख्य भवन एवं टाईप 2 एक नग) के निर्माण हेतु विस्तृत आगणन प्रस्तुत कियागया, जिस पर टी.ए.सी. के उपरान्त शासन के पत्रांक संख्या 683 दिनांक 25.03.2014 के द्वारा ` 68.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। पुलिस अधीक्षक टिहरी गढ़वाल द्वारा दिनांक 26.04.2014 तक इकाई को ` 68.69 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गयी थी। इकाई द्वारा दिनांक 02.08.2014 को ` 57,48,321 की लागत से अनुबंध गठित किया गया, जिसके अनुसार उक्त निर्माण कार्य दिनांक 26.09.2014 को प्रारम्भ कर समय वृद्धि को उपरान्त दिनांक 24.06.2015 तक सम्पन्न करना था। आगे जांच में यह पाया गया कि आबंटित राशि ` 68.69 लाख का पूर्ण व्यय होने के उपरान्त मात्र मुख्य भवन का ही निर्माण किया जा सका, जिसे ग्राहक विभाग को हस्तगत कर दिया गया। (दि. 08.06.2016) शेष टाईप 2 एक नग के निर्माण हेतु ` 40.27 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत किया गया (दि. 05.03.2016)

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि निर्माण स्थल पर रोड़ साईट एक बहुत बड़ेक बोलर था, एवं उसके नीचे एक छोटी नदी बहती थी। उक्त बोलर को हटाने एवं नदी से ऊपर तक रिटेनिंग वाल बनाने में अधिक लागत आने के कारण टाईप-2 नहीं बनाया जा

सका, जिसका एम.ओ.यू. में उल्लेख किया गया है। मूल विभाग द्वारा पूर्व में भूमि का चिन्हीकरण नहीं कराया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यदि मूल विभाग द्वारा पूर्व में भूमि का चिन्हीकरण नहीं कराया गया था तो बिना भूमि की उपलब्धता के प्राक्कलन तैयार कर क्यों प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त मृदा परीक्षण की रिपोर्ट में जब यह बात स्पष्ट हो गयी थी कि उक्त स्थल पर एक बड़ा बोलर है जिसके हटाने एवं नदी के ऊपर रिटेनिंग वाल बनाने में अधिक लागत आने की संभावना है तो इस संबंध में कार्य में होने वाली संभावित लागत वृद्धि की पूर्वानुमति ग्राहक विभाग से प्राप्त किया जाना चाहिए था।

अतः ` 68.69 लाख व्यय के उपरान्त भी कार्य का पूर्ण न किया जाना एवं कार्य में ` 40.27 लाख की लागत वृद्धि होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः-

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) अनुपालन आख्या

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री एस.पी. पेटवाल	परियोजना प्रबन्धक	10/2013 से 07/2014
2.	श्री ऐ.जे.पी. डोबरियाल	परियोजना प्रबन्धक	08/2014 से लगातार

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम, चम्बा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)